तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओगड़राम प्रजापति पुत्र श्री उरजाराम जी, ''यशविला'' सर्वोदयनगर रेलवे फाटक के पास फुलाद मार्ग वी/पी सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला–पाली (राज.) 306103 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 45/2021 जीसीएमएस नं. :– 2021/132 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/3/22	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 04.04..2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./182/2021/895 दिनांक 1.5.06. 2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी सोजत/तहसीलदार सोजत से सम्बन्धित होने से उनके जरिये पत्रांक/एफ/कलेक्ट्रेट पाली/1516151418/182/2021/645 दिनांक 07.04.2021 के अन्तरित कि गई थी। तथा उनके कार्यालय से संबंधित सूचना के संदर्भ में जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./182/2021/740 दिनांक 05.05.2021 के जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सूचित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सोजत ने जरिये पत्रांक/राजस्व/2022/632 दिनांक 24.02.2022 व 33 दिनांक 2.3.2022 के अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संदर्भ में प्रार्थना पत्र में विशिष्टियों (आदेश क्रमांक/वर्ष) का अंकन नहीं होने से सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो पाया। इस बाबत अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2021/2484 दिनांक 15.06.2021 के सूचित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सोजत द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 15/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	